कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के सलंग्न ग्रुप–डी–II के अनुरूप **प्रधानाचार्य (उमावि) एवं समकक्ष की वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध एवं पूर्व वर्षो की रिव्यु हुई विभागीय पदोन्नति समिति** की अभिशंषा अनुसार चयन किये जाने पर शिक्षा सेवा के सलंग्न सूची के अधिकारियों को पे–बेण्ड 15600–39100 पीबी.–3 ग्रेड पे 6600 में चयनित कर पदोन्नत किये जाने के फलस्वरूप इन्हें उनके नाम के सामने अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे। अतः संबंधित नियन्त्रण अधिकारी इस आशय की घोषणा प्राप्त करेंगे कि इनके 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से संतानों की कुल संख्या 2 से अधिक नहीं हुई है । नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद , जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान कर पुष्टि करेंगे । अन्यथा स्थिति में कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नही करते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई–मेल commsecedu@yahoo.com से तुरंत सूचित करेंगे।

संबंधित अधिकारी नियत **दिनांक:–3.12.16** तक पदोन्नति पदस्थापन के स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगें। लोकसेवक अगर पदोन्नति का परित्याग करना चाहे तो उसे अपने नियन्त्रण अधिकारी को नियत दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित में आवेदन करना होगा अन्यथा उन्हें नियन्त्रण अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा। नियन्त्रण अधिकारी निर्धारित तिथि से एक दिवस पूर्व आवश्यक रूप से पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त करने के लिए उत्तरदायी होगें । कार्यभार ग्रहण करने/पदोन्नति परित्याग की सूचना नियन्त्रण अधिकारी(संस्था प्रधान) द्वारा कार्यग्रहण करने की अंतिम तिथि के आगामी दिवस को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक/ईमेल सूचित करेंगे।

क्र स	वरिष्ठता क्रमांक	वर्ष	नाम	वर्तमान पदस्थापन	जिला	वर्ग	पदोन्नति पर पदस्थापन	जन्मतिथि
1	684	2003–04	**सीताराम धोबी**	**राउमावि, डिडवता जयपुर**	jaipur	SC	**मोतीपुरा–नैनवा बूंदी**	**27.08.1967**

(बी.एल.स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर
दिनांकः– 30.11..2016

क्रमांक/शिविरा/मा/संस्था/बी–2/प्रधानाचार्य/15–16
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत्

01. शासन सचिव–शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)/कार्मिक(क–5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. सचिव लोक सेवा आयोग, अजमेर
04. शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)जयपुर/अजमेर
06. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)जयपुर/नागौर/बूंदी
07. प्रधानाचार्य, राउमावि, राउमावि,डिडवता जयपुर/नोखा चांदवातान– मेडतासिटी नागौर को पाबंद किया जाता है कि कार्मिक के पदोन्नति ग्रहण करने की स्थिति में इनके कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति का इन्द्राज शालादर्पण में आवश्यक रूप से करेगें । इसके लिए आप स्वंय व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें ।
09 श्री सीताराम धोबी,व्या0 राउमावि, वाटिका जयपुर ।
10. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/सी/गोपनिय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ प्रभारी बी–3
08. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)